

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री उदा वगैरह

विपक्षी :- श्रीमती रूकमणी वगैरह

किस्म मुकदमा :- 136 L.R.A.

पत्रावली संख्या :- 130/22 (प्रार्थना पत्र)

GCMS NO : 2022/504

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 09.07.2024 - पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 6 उपस्थित। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर सुनी गई।</p> <p>हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रार्थीगण का कथन है कि प्रकरण ग्रस्त भूमि नामान्तरकरण अनुसार हिस्से अंकित नही कर राजस्व कर्मचारियो और अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से हिस्से अंकित कर दिये। जिन्हें दुरस्त करवाया जाकर हिस्से सही अंकित करवाया जावे। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम आसना पटवारी हल्का खेमली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 384 पर दर्ज आराजी नम्बर 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561 किता 18 रकबा 3.1078 हैक्टर भूमि स्थित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारो का सजरा बनाकर निवेदन किया गया कि भेरा व वरदा दोनो का हिस्सा समान था जो मौका पर्चा में दर्शाया गया है। अतः सभी नामान्तरकरण व मौका पर्चा के अध्ययन पर पाया गया कि जमाबन्दी में तत्समय से वर्तमान संवत 2072-76 तक हिस्सा दर्ज नही थे जो जमाबन्दी सेग्रीगेशन के समय दर्ज किये गये। पटवारी हल्का द्वारा संशोधित हिस्से इस प्रकार बताए गए कि उदा पुत्र पेमा जाति डांगी सा. देह 1/12 हिस्सा, भमरिया पुत्र पेमा जाति डांगी सा. देह 1/12 हिस्सा, जोधा पुत्र दुदा जाति डांगी सा. देह 1/6 हिस्सा, लोगरलाल पुत्र वगता जाति डांगी सा. देह 1/6 हिस्सा, रूकमणी पुत्री परथा जाति डांगी सा. देह 1/8 हिस्सा, रामलाल</p>	



पुत्र परथा जाति डांगी सा. देह 1/8 हिस्सा, केसीबाई पत्नी डालु जाति डांगी सा. देह 1/24 हिस्सा, मांगीलाल पुत्र डालु जाति डांगी सा. देह 1/24 हिस्सा, पुष्कर पुत्र डालु जाति डांगी सा. देह 1/24, सीता भाट पत्नी ओमप्रकाश जाति राव निवासी गुड़जी तहसील मावली खातेदार 1/8 हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार पटवारी स्वयं द्वारा स्वीकार किया है कि पुर्व जमाबंदी में हिस्से अंकित नही होने से सेग्रीगेशन के दौरान हिस्से अंकित करते हुए त्रुटि हो गई। इस प्रकार हुई त्रुटि को सुधारा जाना आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि ग्राम आसना पटवार हल्का खेमली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 384 पर दर्ज आराजी नम्बर 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561 कित्ता 18 रकबा 3.1078 हैक्टर भूमि में उदा पुत्र पेमा जाति डांगी सा. देह 1/12 हिस्सा, भमरिया पुत्र पेमा जाति डांगी सा. देह 1/12 हिस्सा, जोधा पुत्र दुदा जाति डांगी सा. देह 1/6 हिस्सा, लोगरलाल पुत्र वगता जाति डांगी सा. देह 1/6 हिस्सा, रूकमणी पुत्री परथा जाति डांगी सा. देह 1/8 हिस्सा, रामलाल पुत्र परथा जाति डांगी सा. देह 1/8 हिस्सा, केसीबाई पत्नी डालु जाति डांगी सा. देह 1/24 हिस्सा, मांगीलाल पुत्र डालु जाति डांगी सा. देह 1/24 हिस्सा, पुष्कर पुत्र डालु जाति डांगी सा. देह 1/24, सीता भाट पत्नी ओमप्रकाश जाति राव निवासी गुड़जी तहसील मावली खातेदार 1/8 हिस्सा अंकित किये जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर